

**बिहार सरकार**  
**आपदा प्रबंधन विभाग**

माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक-23.07.2012 को अपराह्न 4.30 बजे से मुख्य सचिवालय सभागार में बाढ़ प्रवण जिलों के आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों के साथ विडियों कॉन्फेसिंग के माध्यम से संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- अलग पृष्ठ पर संलग्न।

2. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्वागत किया गया एवं आसन्न बाढ़, 2012 के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तैयारी के संबंध में विषय का प्रवर्तन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि बाढ़ आपदा के प्रबंधन के लिए पूर्व से ही मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित है जिसमें बाढ़ आपदा से पूर्व, बाढ़ आपदा के दौरान तथा बाढ़ आपदा के पश्चात् किये जाने वाले क्रियाकलापों को संकलित किया गया है। सभी संबंधित विभागों के लिए उनके दायित्व का भी निर्धारण किया गया है। ऐसे तो जून माह में वर्षा कम हुई है परंतु नेपाल के नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा के कारण राज्य में बाढ़ की संभावना बनी रहती है। बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु देशी नावों की मरम्मति/नये नावों का क्रय, पॉलीथीन सीट/ महाजाल/टेंट आदि का क्रय एवं मानव दवा/पशु दवा/खाद्यान्न आदि का भंडारण पर्याप्त मात्रा में किया जाना है। वर्षा मापक यंत्रों की मरम्मति, वर्षापात के आकड़ों का प्रेषण जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्रों का सक्रिय किया जाना अत्यावश्यक कार्य है। अतएव पूर्व तैयारी की समीक्षा हेतु यह विडियों कॉन्फेसिंग आयोजित की गई है।

3. **प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग** :- श्री व्यासजी द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं सभी गणमान्यों का स्वागत किया गया। उनके द्वारा बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के सभी अध्यायों की power point presentation द्वारा संक्षिप्त परिचय देते हुए सविस्तार चर्चा की गई है। उनके द्वारा छ: बिन्दुओं पर यथा 1. राज्य के बाढ़ प्रभावित जिले 2. संस्थात्मक ढाँचा के अन्तर्गत राज्य कारिणी समिति, नोडल विभाग, एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में चर्चा की। 3. बाढ़ पूर्व तैयारियाँ 4. बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव 5. बाढ़ के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाईयें एवं 6. बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला गया है एवं चेक लिस्ट के अनुसार तैयारियाँ करने का निदेश दिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि मानक संचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शंका एवं भ्रम की स्थिति होने पर विभाग से निदेश/मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि बाढ़ पूर्व तैयारियों के लिए राज्य के सभी बाढ़ प्रवण जिलों को नगद अनुदान, खाद्यान्न की आपूर्ति, जनसंख्या का निष्क्रमण तथा क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति/ नए नावों का निर्माण मदों में राशि उपलब्ध कराई गई है। ₹ 40.5311 करोड़ बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए आवंटित हैं। कतिपय जिलों से अन्य मदों में प्राप्त अधियाचना के अनुरूप राशि का आवंटन किया गया है। भारत सरकार से तीन लाख मैट्रीन टन खाद्यान्न की अधियाचना की गई है। वर्तमान में सरकार के गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है। मानव दवा की उपलब्धता NRHM के माध्यम से किया जाना है जिसके अन्तर्गत halozen tablet/bleaching powder, साँप काटने की दवा अन्य मानव दवा का क्रय किया जाय। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर पीड़ितों के लिए मेगा शिविर/ स्वास्थ्य शिविर एवं पशुओं के लिए शिविरों का संचालन किया जाना है। नाविकों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा। SDRF का गठन कर लिया गया है तथा विभाग के website पर प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची प्रकाशित है। जमींदार तटबंधों की मरम्मति महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि से कराई जा सकती है। अधिकांश जिलों में EOC कार्यरत है। सुपौल, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, जिलों में NDRF की Pre-positioning की गई है। वायुसेना के हेलिकॉप्टर/वायुयान

